



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2009/पौष 22, 1930

No. 62]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2009/PAUSA 22, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

का.आ. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के आदेश संख्यांक का.आ. 1105(अ) तारीख 11 अक्टूबर, 2004 में निम्नलिखित आदेश संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश की अनुसूची के पैरा 4 में मिल का नाम और अवस्थिति से संबंधित क्रम संख्या 14 के सामने प्रविष्टि में "मैसर्स अमित पेपर, होशियारपुर, पंजाब" शब्दों के स्थान पर "ए. बी. सी. पेपर, साइला खुर्द, होशियारपुर, पंजाब" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2 (3)/2008-कागज]

गोपाल कृष्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2008 के आदेश सं. का.आ. 2066(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 6th January, 2009

S.O. 114(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry Number S.O. 1105(E) dated the 11th October, 2004, namely :—

In the said Order, in the Schedule, in paragraph 4 relating to Name of the Mill and Location, in the entry, against serial number 14, for the words, "M/s. Amrit Paper, Hoshiarpur, Punjab," the words "M/s. ABC Paper Limited, Saila Khurd, Hoshiarpur, Punjab," shall be substituted.

[F. No. 2(3)/2008-Paper]

GOPAL KRISHNA, Jt. Secy.

Note :—The principal Order was published in the Gazette of India, vide No. S. O. 1105(E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended vide Order No. S.O. 2066(E) dated 14th August, 2008 published in the Gazette of India.